



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1623/JH/83/2024-RO-RNC

दिनांक: 30.12.2024

सेवा में,

1. श्री आंजनेयुलू दोड्डे  
उपायुक्त,  
जिला - दुमका  
कार्यालय उपायुक्त,  
समाहरणालय भवन,  
दुमका, झारखंड -814101  
Email Id: [dc-dum@nic.in](mailto:dc-dum@nic.in)
2. श्री पीताम्बर सिंह खरवार  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला - दुमका  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
नया समाहरणालय भवन,  
दुमका, झारखंड -814101  
Email Id: [sp-dumka@jhpolic.gov.in](mailto:sp-dumka@jhpolic.gov.in)


विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती जोस्फीन मरांडी, पति श्री जसवंत फ्रांसिस तिग्गा -, मोहल्ला बांधपाड़ा -, पोस्ट एवं थाना दुमका नगर -, जिला रामनारायण के द्वारा मौसमी सिंह एवं उनके भाई मृत्युंजय सिंह पिता स्व " से प्राप्त अभ्यावेदन (डझारखंड) दुमका - अभ्यावेदिका एवं उनके घर में भवन निर्माण का काम कर रहे राजमिस्त्री श्री गुलाम शेख के साथ मारपीट करने-, सपरिवार जान से मारने की धमकी एवं निजी जमीन का अतिक्रमण करने के संबंध में।  
संदर्भ: आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का नोटिस दिनांक 01.05.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **06.01.2025 को 12:40 P.M** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

  
(एच.आर.मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : [hari.rammeena@ncst.nic.in](mailto:hari.rammeena@ncst.nic.in)

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनाार्थ:

श्रीमति जोस्फीन मरांडी,  
पति श्री जसवंत फ्रांसिस तिग्गा,  
मोहल्ला बाँधपाड़ा -, वार्ड नं० 11,  
पोस्ट दुमका, थाना दुमका नगर,  
जिला दुमका (झारखंड) 814101.(Mobile No:7488726095)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)  
NIC for uploading